

13 18/12/18

29.10.18

फर्द अहकाम (नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत उप तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
सडा

बनाम जानशरभ कन्ड जैशरभ काम
जाट जिला जौधेश्वर नगर
मु. न. 13 सन 2018

किस्म मुकद्दमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

~~13/12/18~~

तारीख हुकम	हुकम या कायंवाही मय इनिस्पेक्टस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/9/18	<p>पटवारी हल्का <u>सडा</u> ने रिपोर्ट पेश कर मुचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2075 में मांजा <u>जौधेश्वर नगर</u> के खसरा नं० <u>23</u> रकबा <u>0-12 बीघा</u> किस्म भूमि <u>अ. भू. डोवा</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काष्ट व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>15/10/2018</u> को वमुकाम <u>सिणधरी</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u></p>	
15/10/18	<p><u>पत्रावली आण प्रत्युत हुई। और सायल उपस्थित और सायल अतिक्रमण हटाने हेतु समग्र यादग है। जो डीमा जाकर पत्रावली आई-डा दिनांक 29/10/18 के पेश है।</u></p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u></p> <p>RCMS - 2018/00024 निर्णित 18/12/2018</p>	<p style="text-align: right;">जानशरभ</p>

18/12/18


पञ्चमली की प्रस्तुत डेटा/ऑरिजनल-
इक्यूण्डिग। पत्रार्थ हल्ला उपस्थित
श्री नारायण दास की प्रस्तुत का
जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं नही
को विधि सम्मत कोई दस्तावेज प्रस्तुत
किया गया है अतः श्री नारायण को
की प्रस्तुत को धोखा दिया जाता है। निर्णय
शिलग से लिखा जाकर प्रस्तुत कर।
पञ्चमली नम्बर से कम है।

प.स.स.प.

तहसीलदार सिणधर

~~तहसील राजस्व लेखा पंजीका सं. 4 के पृष्ठ सं. 11 पर क्र.सं. 5 पर जुमाना/फसल तिलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।~~

वर्ष 2016-19 के राजस्व लेखा पंजीका सं. 4 के पृष्ठ सं. 11 पर क्र.सं. 5 पर जुमाना/फसल तिलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।


तहसील राजस्व लेखा पंजीका सं. 4 के पृष्ठ सं. 11 पर क्र.सं. 5 पर जुमाना/फसल तिलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।
तहसील सिणधर